भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2496

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इंश्योरेंस सर्वेक्षकों के काम को लम्बित रखना

†2496. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत बिना किसी औपचारिक चार्जशीट या अंतिम आदेश के, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)-लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों को अनिश्चित काल के लिए काम का आवंटन रोकने या निलंबित करने की अनुमति है और यदि हां, तो वे कौन से विधिक प्रावधान या बोर्ड-स्वीकृत नीतियां हैं जिनके तहत ऐसे अनौपचारिक कार्य निलंबन आदेश जारी किए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एनआईसीएल के तहत कुछ वरिष्ठ पैनलबद्ध स्वतंत्र बीमा सर्वेक्षकों को उनके मामलों की स्वतंत्र जांच पूरी होने के बावजूद जून 2025 से अनौपचारिक कार्य निलंबन के तहत रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 10,000 से अधिक सर्वे कार्य पूरे कर चुके ऐसे दिग्गजों के लिए अंतिम आदेशों को अंतिम रूप देने या काम का आवंटन बहाल करने में जून 2025 से जून 2026 तक हुई अत्यधिक प्रशासनिक देरी के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(घ) एनआईसीएल में लंबित प्रशासनिक बंदी के कारण पेशेवर आजीविका से वंचित किए जाने के संबंध में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): बीमाकर्ता द्वारा पैनल में शामिल सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता को सर्वेक्षण कार्य के आवंटन के निलंबन से संबंधित यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 (एसएलए विनियम) में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, निम्नांकित प्रावधान व्यापक रूप से बीमाकर्ताओं द्वारा सर्वेक्षकों के पैनल, उपयोग और कार्य-निष्पादन की निगरानी को अभिशासित करते हैं -

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) सहित एसएलए विनियमों के विनियम 21(1) के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षक प्रबंधन नीति होनी अपेक्षित है जो अन्य बातों के साथ-साथ सर्वेक्षकों के पैनल में शामिल करने और उपयोग करने और उन्हें सर्वेक्षण कार्यों के आवंटन को अभिशासित करती है। एसएलए विनियमों के विनियम 21(2) के अनुसार बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पैनल में शामिल सर्वेक्षकों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करें, जिसमें निर्धारित आचार संहिता और कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का अनुपालन शामिल है।

जहां आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन बीमाकर्ता के ध्यान में लाए जाने पर बीमाकर्ता से आवश्यक जांच और छानबीन करने की अपेक्षा की जाती है और जहां इस तरह का उल्लंघन किया जाता है तो आईआरडीएआई को शीघ्र इसकी रिपोर्ट की जाती है।

तदनुसार, बीमाकर्ता द्वारा सर्वेक्षण कार्य के पैनल में शामिल करने, उपयोग करने और आबंटन से संबंधित मामले एसएलए विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन इसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षक प्रबंधन नीति द्वारा अभिशासित होते हैं।

जैसा कि एनआईसीएल द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी में सर्वेक्षक प्रबंधन का सख्तीपूर्ण अभिशासन कंपनी के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित सर्वेक्षक प्रबंधन का नीति द्वारा किया जाता है। यदि किसी बीमित व्यक्ति या हितधारक द्वारा बाहरी धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुपालन में पैनल में शामिल सर्वेक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार, गंभीर कदाचार, धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो उनको सर्वेक्षक कार्यों का आवंटन अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है।

एनआईसीएल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि एक निश्चित मामले में बाहरी धोखाधड़ी से निपटने के लिए एसओपी के अनुपालन में जून 2025 से एक सर्वेक्षक को आगे के काम का आवंटन निलंबित कर दिया गया है। अंतिम जांच पूरी होने तक आगे के कार्य के आवंटन का निलंबन अस्थायी रूप से किया जाता है। मामले को एसओपी के प्रावधानों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया जाता है। एनआईसीएल में लंबित प्रशासनिक क्लोजर होने के कारण पेशेवर आजीविका से वंचित किए जाने के संबंध में कोई अन्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
